रोजा संस्थान, वाराणसी

चन्दौली के चकिया ब्लाक के मुसहर समाज के बच्चो में पोषण की स्थिति

–एक संक्षिप्त रिर्पोट–

रोजा संस्थान एक पंजीकृत सामाजिक संस्था है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़, चन्दौली और महराजगंज के 124 गांवों में वंचित समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिये कार्य कर रही है।

जिला चन्दौली के विकास खण्ड चकिया के 16 गांवों में चाइल्ड राइट एण्ड यू, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में रोजा संस्थान बाल अधिकार के मुददे पर कार्यरत है। संस्थान द्वारा स्वास्थ्य व पोषण के मुददे पर किशोरी बालिका, गर्भवती महिलाये, धात्री महिलायें और 05 के बच्चो को बेहतर स्वास्थ्य देखरेख के मुददे पर फोकस किया जाता है। विशेषकर गावों के मुसहर समाज में स्वास्थ्य व पोषण के साथ ही सामाजिक उत्थान के लिये विशेष प्रयास किये जातें है। हमने अपके कार्य के दौरान पाया कि चन्दौली जिले के विकास खण्ड चकिया के 16 चिन्हित गांवों के मुसहर समाज की वस्तियों में महिलाओं और 5 साल से कम आयु के बच्चों में कुपोषण और बिमारियों के संक्रमण की अधिकता पायी गयी है वहीं महिलाओं में खून की कमी, गर्भावस्था के दौरान कम वजन, बच्चो के जन्म के समय कम वजन, कम अंतराल में प्रसव और टीकाकरण व पोषण आदि की सेवाओं के लाभ से दूरी आदि का होने के साथ ही साथ कम उम्र में लड़के और लड़कियों के विवाह और परिवार चलाने की जिम्मेदारी और समाज में अंधविश्वास और परम्परागत विचारधारा परिवारों को विषम परिस्थितियों से निकलने से रोक रही है।

मुसहर समाज के 0 से 5 साल के बच्चो के पुरवावार पोषण की संख्या इस टेबल के आधार पर समझा जा सकता है। संस्था द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानको के अनुसार ग्रोथ मैपिंग कर निम्नलिखित परिस्थितियों को चिन्हित किया है–

Sl. No.	Hamlets	Total			Severely underweight		Moderately underweight		Normal	
		Boy	Girls	Total	Boy	Girls	Boy	Girls	Boy	Girls
01	Jhadhu chadi	03	02	05	02	01	01	01	00	00
02	Ganeshpur banwasi basti	08	07	15	03	02	02	03	03	02
03	Sitabe	23	36	59	04	04	02	09	17	23
04	Talra	03	07	10	00	01	00	00	03	06
05	Pakwa	19	13	32	01	02	02	02	16	09
06	Baira nayi basti	12	07	19	01	01	01	02	10	04

07	Baira purani basti	16	19	35	01	02	01	02	14	15
08	Dodapur khalsa	22	20	42	02	01	03	05	17	14
09	Bhishampur banwasi basti	54	39	93	03	03	04	05	47	41
10	Kunda hemaiya	09	11	20	02	00	00	02	07	09
	Total	169	161	330	19	17	16	31	134	123

विकास खण्ड चकिया के 16 ग्राम के चिन्हित 1888 परिवारों के 0 से 5 साल तक के बच्चो के पोषण स्तर का विवरण इस टेबल के आधार पर समझा जा सकता है। इन जातियों में बिन्द्र, पाल, राजभर, खरवार, पासवान, चमार, मुस्लिम समाज के बच्चे शामिल है।

Sl. No.	**Type of community**	**Total**			**Severely underweight**		**Moderately underweight**		**Normal**	
		Boy	**Girls**	**Total**	**Boy**	**Girls**	**Boy**	**Girls**	**Boy**	**Girls**
01	Musher community children	169	161	330	19	17	16	31	134	123
02	SC and OBC communities children	374	394	768	16	20	35	45	323	319
	Total	543	555	1098	35	37	51	76	457	442

संस्था द्वारा हर माह गंभीर कुपोषित बच्चो का ग्रोथ मानिटरिंग किया जाता है। हर दूसरे महीने कुपोषित बच्चो का ग्रोथ मानिटरिंग किया जाता है और हर तीन माह पर 0 से 05 साल तक के सभी 1888 चिन्हित परिवारों के 1098 बच्चो का ग्रोथ मानिटरिंग किया जाता है। ग्रोथ मानिटरिंग के दौरान कुपोषित बच्चो के अभिभावको को परामर्श दिया जाता है और अगर बच्चे को कुपोषण के साथ ही साथ संक्रमण आदि है तो उन बच्चे को पोषण पुर्नवास केन्द्र चकिया, चन्दौली में भर्ती कराने का प्रयास किया जाता है। पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती किये गये बच्चे को नियमित फालोअप तब तक किया जाता है जब तक वह स्वस्थ्य न हो जायें। संस्था द्वारा अति गरीब परिवारों के बच्चों के आकस्मिक परिस्थितियों में दवा आदि के लिये आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है। बच्चों के ग्रोथ मानिटरिंग के रिर्पोट को बाल विकास परियोजना और उससे जुड़े सेवादाता के साथ साझा किया जाता है ताकि बच्चे के बेहतर जिन्दगी के लिये संयुक्त प्रयास हो सकें।

मां और बच्चे के बेहतर पोषण के लिये संस्था द्वारा इस साल में लगभग 500 सहजन के पौधों को समाज के उन्ही महिलाओ द्वारा नर्सरी तैयार कराकर पौधा रोपण कराया गया है ताकि आने वाले साल में हर कुपोषिण परिवारों को साल में लगभग एक माह सहजन के पत्ते, फूल और फल से पोषण प्राप्त हो सके। इसी के साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हर उन कुपोषित परिवारों और सम्भावित परिवारों के घर के आस पास फलदार वृक्ष जैसे अमरूद, केला,

पपीता, बेर और सब्जी के पौधे लगाये और उगाये जाये ताकि परिवार को बिना लगात या कम लागत के पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके। इसके साथ ही बच्चो को उस समय कोई न कोई फल आदि की प्राप्ति हो सके जब उनके माता पिता काम पर चले जाते और जब बच्चे को भूख लगती है तो वह आपने अभिभावक के प्रतीक्षा मे भूखे न रहे बल्कि उसके घर के आस पास में उपलब्ध फल और पौधों से आपने भूख को मिटा सकें ताकि भूख बच्चे को कुपोषित न बना सकें। इसी के साथ ही साथ देश की परम्परागत देशी बीज की उपलब्धता के साथ ही उसके खेती और सेवन के लिये भी प्रयासरत है जैसे मडुवा की खेती, टागुन, सावा, बाजरा, ज्वार आदि की खेती को भी संस्था प्रोत्साहित कर रही है।

संस्था द्वारा सघन रूप से बच्चो, किशोरियों और महिला व पुरूषों को जानकारी, जागरूकता और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिये सतत रूप से प्रयास कर रही है और सामाजिक अंधविश्वासों और कुरितियों के प्रति तार्किक सोच विकसित करने का संगठित प्रयास भी कर रही है। इन सब प्रयासों के बाद भी वर्तमान समय में 0 से 5 साल के बच्चो में कुपोषण की स्थितियां बनी हुयी है। जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते है–

पाई चार्ट–01– 5 साल से कम उम्र के बच्चो की पोषण स्तर

पाई चार्ट 01 के आधार पर हम देखे तो पातें है कि 1888 चिन्हित परिवारों में कुल 1098 बच्चे है जिसमें से 6 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषित है जिन्हे कुपोषण के साथ ही साथ कोई न कोई संक्रमण भी है। जिन्हे पोषण पुनर्वास केन्द्र के देखरेख में होना चाहियें। 12 प्रतिशत कुपोषित बच्चे है जिन्हे गंभीर कुपोषण तो नही है लेकिन ये सामान्य पोषण स्तर से नीचे है जिन्हे विशेष देखरेख की जरूरत है। जबकि 82 प्रतिशत बच्चे सामान्य स्तर में है और इन्हे स्वस्थ्य रखने के लिये नियमित आधार पर सामान्य देखरेख की जरूरत है। इस पाई चार्ट के आधार पर हम कह सकते है कि 18 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है। कुल 1888 परिवारों में से 199 बच्चे कुपोषण के शिकार है तो अगर हम 2011 के जनगणना के आधार पर जिला चन्दौली के कुल 488998 परिवारों के आधार पर जिले का अनुमानित आंकलन करें तो जिले के लगभग 51541 बच्चे कुपोषण के शिकार होगें। यह परिणाम एक गंभीर स्थिति है। जबकि जिले में लगभग1487 आगनवाड़ी कार्यकर्ती और लगभग1487 सहायिका की जिम्मेदारी कुपोषण के मुददे पर है। इस आधार

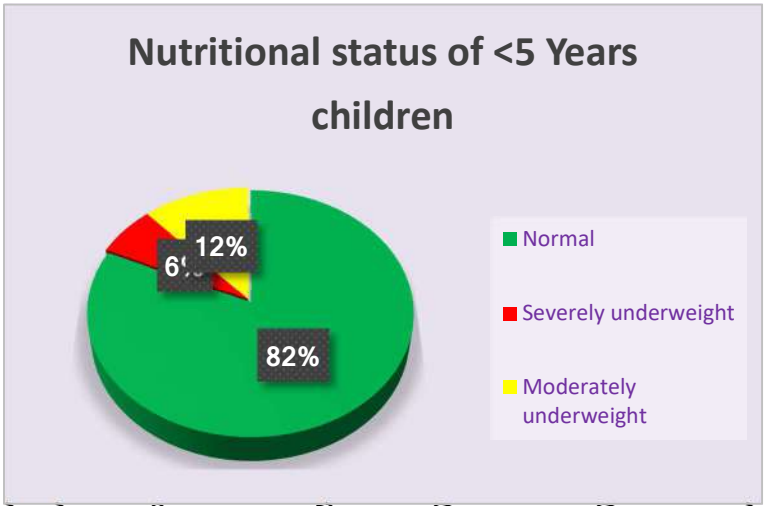

पर हम देखें तो पातें है कि लगभग 18 बच्चे एक व्यक्ति के जिम्मेदारी पर है। फिर भी कुपोषित बच्चो की संख्या कम नही हो रही है। जहां देख के भविष्य की बचपना कुपोषण के दलदल में हो वहा हम एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में इन बच्चो के योगदान की क्या कल्पना कर सकतें है। ये स्थितियां एक जिले की है अगर हम प्रदेश स्तर पर आंकलन करें तो स्थितियां भयावह हो सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी – बाल विकास, चन्दौली कार्यालय के आधार पर जिला के 0 से 5 साल के कुल 190879 बच्चे है। जिसमें सितम्बर 2019 में कुल 185294 बच्चो का ग्रोथ मानीटरिंग विभाग द्वारा किया गया। कुल 97.074 प्रतिशत बच्चो का वजन विभाग द्वारा किया गया। विभाग के अनुसार जिला में कुल 3055 बच्चे अति कुपोषित है। कुल 17006 बच्चे कुपोषित है। कुल 165233 बच्चे सामान्य श्रेणी में है। जिला कार्यक्रम अधिकारी–बाल विभाग, चन्दौली कार्यालय का सितम्बर –2019 का रिर्पोट साथ संलग्न है।

<u>पाई चार्ट–02– बाल विकास विभाग, चन्दौली के आधार पर जिला चन्दौली के 5 साल से कम उम्र के बच्चो की पोषण स्तर सितम्बर –2019 के आधार पर</u>

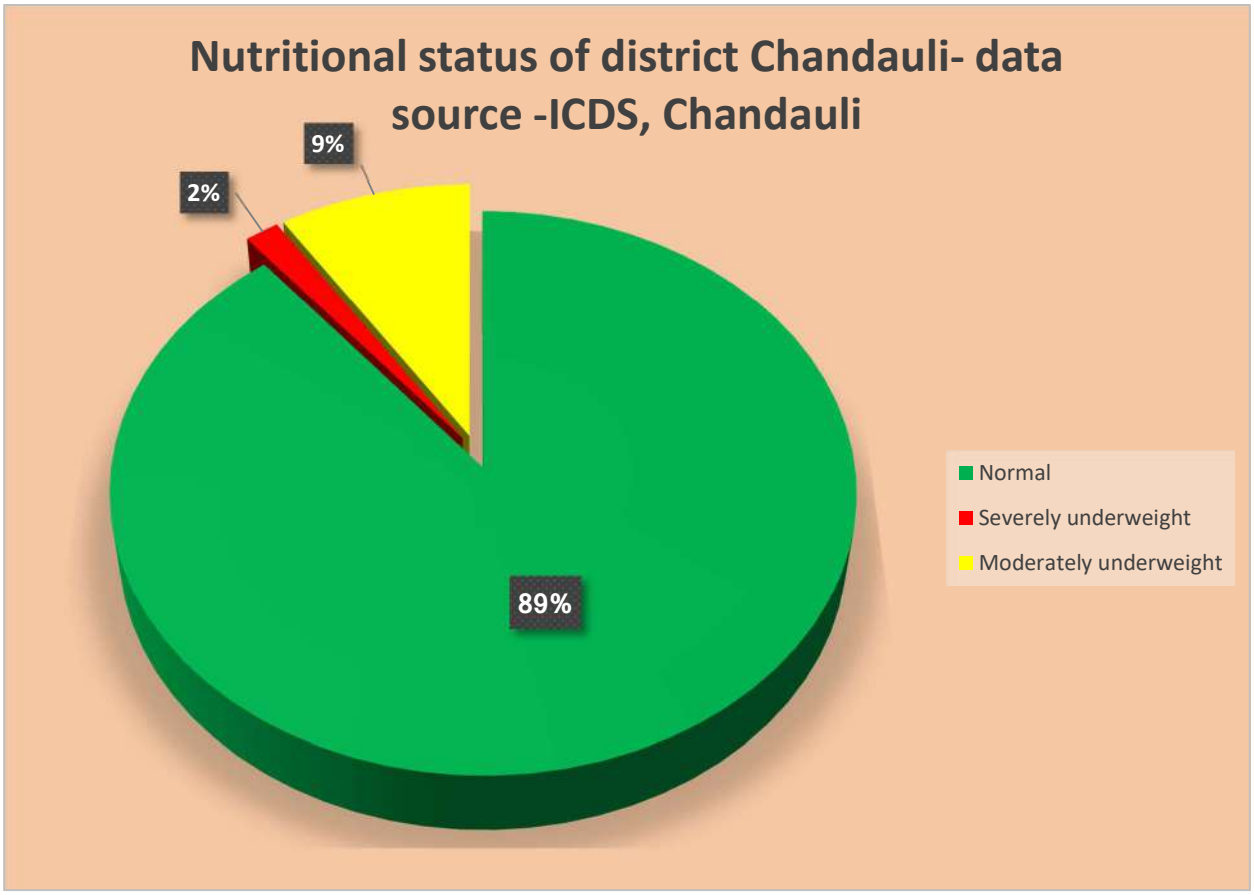

पाई चार्ट–03– मुसहर समाज में 5 साल से कम उम्र के बच्चो की पोषण स्तर

पाई चार्ट 03 के आधार पर देखें तो पातें है कि मुसहर समाज के 0 से 5 साल के बच्चों में 10 प्रतिशत अतिकुपोषित, 14 प्रतिशत कुपोषित और 76 प्रतिशत बच्चे सामान्य स्थिति में है। मुसहर समाज के कुल 24 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है। जबकि हमने पाई चार्ट 01 के आधार पर पाया था कि 18 प्रतिशत कुपोषण है। लेकिन जब हम समाज के आधार पर देखते है तो पाते है कि सभी बच्चो में से मुसहर समाज के बच्चो में 06 प्रतिशत कुपोषण की दर अन्य समाज के बच्चो से अधिक है। ऐसा क्यो है तो इसके तह में जाते है तो पता चलता है कि मुसहर समाज में किशोरियों में खून की कमी, कम उम्र में शादी और कम उम्र मे प्रसव का होना, पोषक तत्वों की उपलब्धता का न होना, प्रसव में कम अंतराल और सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की तक उनकी पहुच का न होना है। इस सब परिस्थितियों के आधार पर हम कह सकतें है कि कुपोषण को केवल कुपोषण के रूप में न देखा जाये बल्कि इसे जातिगत आधार पर अति बंचित समुदाय के बच्चो को विशेषरूप से देखा जाये ताकि हम वहा पर अधिक फोकस कर पहल कर सकें।

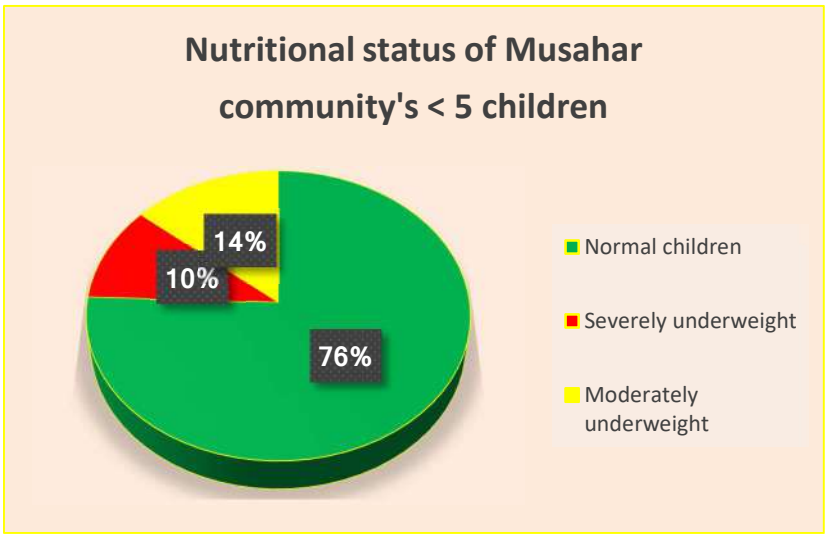

जनगणना 2011 के आधार पर हम देखे तो पाते है कि उत्तर प्रदेश में मुसहर समाज की आबादी 257135 है। इन वर्षो में लगभग जनसंख्या बढ़कर लगभग 320000 के आसपास होगी। अगर 16 गांवों के पुरवों में निवास करने वाले मुसहर समाज के 341 परिवारों के बच्चों के ये स्थितियां हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग12900 की संख्या में मुसहर समाज के बच्चे कुपोषित होगें। इस पर सरकार को विशेष फोकस कर शासनादेश जारी करना चाहिये।

चार्ट–04– लैंगिक आधार पर 5 साल से कम उम्र के बच्चो का पोषण स्तर

इस चार्ट में लैंगिक आधार पर हम देखें तो पाते है कि कुल 457 बालक सामान्य पोषण स्तर के है जबकि 442 बालिकायें ही सामान्य पोषण स्तर में है। इसी प्रकार हम अति कुपोषित स्तर को देखें तो पाते है कि 35 बालक अति कुपोषित है जबकि 37 बालिकायें अति कुपोषित है। इसी प्रकार से कुपोषित स्तर को देखें तो पाते है कि 51 बालक कुपोषित है जबकि 76 बालिकायें कुपोषित है। उपरोक्त लैगिक आधार पर भी बालिकायें बालको से अधिक कुपोषित है। हमें अपने प्रयासों में बालक बालिका के आधार पर ध्यान देकर पहल करने की जरूरत होगी।

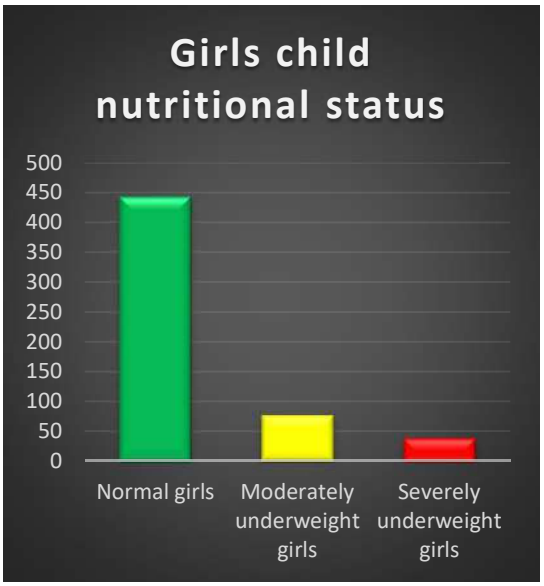

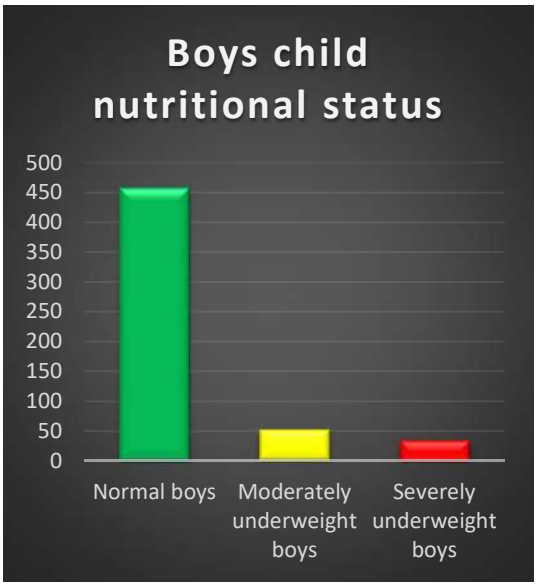

उपरोक्त आधार पर हम कह सकतें है कि जिला चन्दौली के विकास खण्ड चकिया के विभिन्न उन गांवों में जहां बाल विकास परियोजना संचालित है। वहां पर 5 साल के बच्चों में कुपोषण की गंभीर स्थितियों व्याप्त है। ये स्थितियों लगातार कई वर्षो से चली आ रही है। इस मुददे पर रोजा संस्थान द्वारा भी परामर्श और देखरेख की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है ताकि कुपोषण के मूल पर कार्य करते हुये हर बच्चा स्वस्थ्य हो इस सपने को साकार किया जा सके। यह देखनें मे आया है कि मुसहर समाज के बस्तियों मे अन्य समाज के अधिकांश आशा, आगनवाड़ी कार्यकर्ती व अन्य जातिगत भेदभाव, बिमार होने व भूत प्रेत आदि के खतरे के डर से जाने से बचते है। जिसके कारण से मुसहर समाज के लोगो को सरकार की बहुत सारी योजनाओं की पहुच नही हो पाती। इस रीति रिवाज को ब्रेक करना होगा और ठीक इसके विपरीत कार्य करने की जरूरत होगी।

इन परिस्तियों के आधार पर हम कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के लिये निम्नलिखित सिफारिश करते है–

1. अति कुपोषित बच्चो को तत्काल पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती कराया जाये और बच्चे के पोषित होने तक सप्ताहिक निगरानी किया जायें।

2. बाल विकास परियोजन के कार्यकर्ती की विशेष जिम्मेदारी मुसहर समाज के बच्चो को फोकस करते हुये दिया जाये और हर माह मुसहर समाज के बच्चे की ग्रोथ मानिटरिंग सुनिश्चित किया जायें। मासिक आधार के प्रगति के अनुसार डाक्टरी सलाह और उपचार कराया जाये।
3. मुसहर समाज के किशोरियों की खून की जांच किया जाये और जांच के आधार पर बालिकाओं को आयरन की खुराक और खान पान सुनिश्चित किया जाये।
4. मुसहर बालिकाओं का किशोरी समूह बनाया जाये और मासिक आधार पर स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी सुनिश्चित किया जाये इस कार्य में आशा की महती भूमिका सुनिश्चित किया जायें।
5. मुसहर समाज के हर विवाह की निगरानी किया जाये और बाल विवाह की स्थिति में तत्काल रोक लगाया जाये। इस कार्य में ग्राम प्रधान, (ग्राम बाल संरक्षण समिति) और आगनवाड़ी कार्यकर्ती की भूमिका सुनिश्चित किया जाये।
6. मुसहर समाज में बच्चो के जन्म के अन्तराल के लिये प्रयास किया जाये और परिवार नियोजन के योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाये इस कार्य में आशा कार्यकर्ती को जिम्मेदार बनाया जाये।
7. मुसहर समाज के 3 साल से कम उम्र के बच्चो को प्रतिदिन पूरक पोषाहर आगनवाड़ी सहायिका के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये और 3 साल से 6 साल के बच्चो को आगनवाड़ी में नामाकंन के साथ ही आगनवाड़ी तक पहुच के लिये आगनवाड़ी कार्यकर्ती को जिम्मेदार बनाया जायें।
8. जिस गांव में मुसहर समाज की बसाहट हो और उस गांव में कई आगनवाड़ी नियुक्ति हो तो उनमे से एक आगनवाड़ी कार्यकर्ती की विशेष जिम्मेदारी मुसहर समाज के बच्चो के प्रति दिया जाये।
9. मुसहर समाज के वस्तियों में स्वास्थ्य व स्वच्छता की विशेष ध्यान दिया जाये।
10. जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा गोंद लिये गये गांवों की मैपिंग किसी गैर सरकारी संस्थाओं से करायी जाये और उसका एक रिर्पोट बनायी जाये। रिर्पोट के आधार पर पहल सुनिश्चित कराया जाये।
11. गर्भवती और धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार के साथ ही साथ खूब पानी पीने और घर में उपलब्ध भोजन को पर्याप्त मात्रा के साथ ही साथ समय पर भोजन ग्रहन करने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा पहल सुनिश्चित कराया जाये।
12. कुपोषण के मामले में झाड़ फूक, जड़ी बूटी के नाम पर ठगी करने वालो पर कानूनी कार्यवाही किया जाये और जिन गांवों में इस प्रकार के प्रचलन हो उन गांवों के चौकीदार को इसके लिये जिम्मेदार बनाया जाये।
13. मुसहर समाज के बस्तियों में ए0एन0एम0, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ती की संयुक्त टीम प्रत्येक माह में स्वस्थ्य जांच शिविर कर

बच्चो के निगरानी करें और आवश्यक परामर्श व रेफरल सेवायें प्रदान करें।

14. अति कुपोषित बच्चो के लिये ग्राम स्तरीय अनटाइड फण्ड को उपयोग कुपोषण के इलाज के दौरान अति आवश्यक मदद के लिये किया जाये और इसके लिये शासनादेश जारी किया जाये।

15. मुसहर समाज के वस्तियों में फलदार वृक्ष लगवाया जाये और इसके लिये ग्राम पंचायत को जिम्मेदार बनाया जाये।

16. बीमार धात्री महिलाओं की चिन्हित कर उनके उचित इलाज की व्यवस्था की जाये इसके लिये आशा कार्यकर्ती को जिम्मेदार बनाया जाये।

17. मुसहर समाज के हर बस्ती से कम से कम एक मुसहर समाज की महिला को आशा कार्यकर्ती के रूप में चयन किया जाये ओर उन्हे प्रशिक्षण प्रदान कर मुसहर समाज के स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रम के लिये उन्हे लगाया जाये।

18. मुसहर समाज के हर एक परिवार को राशन तक पहुच सुनिश्चित किया जाये और निगरानी किया जाये कि वह परिवार राशन की उठान कर ले। इसके लिये कोटेदार को जिम्मेदार बनाया जाये।

19. हर 6 से 14 साल के मुसहर समाज के बच्चे की पहुच मीड डे मील तक बनाया जाये और इसके लिये उस बस्ती के पास के प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार बनाया जाये।

20. समाज के अति बंचित मुसहर समाज के लिये विशेष उत्थान कार्यक्रम ''संजीवनी'' प्रारम्भ किया जाये। इस कार्यक्रम के कियान्वयन में गैर सरकारी संस्थाओं को जिम्मेदारी प्रदान किया जायें।

भवदीय,

मुश्ताक अहमद

मुख्य कार्यकारी,

रोजा संस्थान, वाराणसी

दिनांक 22 सितम्बर 2019

जिला कार्यक्रम अधिकारी–बाल विकास, चन्दौली कार्यालय के आधार पर जिला चन्दौली के सितम्बर – 2019 का संकलित प्राप्त डाटा संलग्न–

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास–चन्दौली।

(राष्ट्रीय पोषण माह अन्तर्गत दिनांक–01 सितम्बर 2019 को किये गये वजन दिवस का संकलन)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कुल 0–5 वर्ष के बच्चों की संख्या	कुल वजन किये गये 0–5 वर्ष के बच्चो की संख्या	वजन का प्रतिशत	कुपोषण का वर्गीकरण		
					लाल(अतिकुपोषित)	पीला (कुपोषित)	हरा (सामान्य)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बरहनी	17443	17411	99.817	161	879	16371
2	सदर	22097	21660	98.022	369	1880	19411
3	नगर	12532	11824	94.35	159	643	11022
4	धानापुर	21490	20765	96.626	477	1997	18291
5	सकलडीहा	25580	24531	95.899	290	1597	22644
6	चहनिया	20962	20609	98.316	306	1042	19261
7	चकिया	18342	17933	97.77	546	2447	14940
8	शहाबगंज	17173	16590	96.605	319	1698	14573
9	नौगढ	8095	7735	95.553	89	669	6977
10	नियामताबाद	27165	26236	96.58	339	4154	21743
	कुलयोग–	190879	185294	97.074	3055	17006	165233

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास–चन्दौली।